आर.टी.आई. मामला/शीघ्र पोस्ट

R-3993/RTI/13
17/5

फा0 सं0 36/4/2011- (आर एवं एस ओ)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
एफ.एफ.आर. प्रभाग

एन.डी.सी.सी.-II बिल्डिंग, जय सिंह रोड
नई दिल्ली, दिनांक 10 मई, 2013

सेवा में,

श्री मुख्तियार सिंह सूफी,
डब्ल्यू जेड- 168, खामपुर,
वेस्ट पटेल नगर,
नई दिल्ली - 110008

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आवेदन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के आर.टी.आई. अनुभाग के माध्यम से इस प्रभाग में दिनांक 12.04.2013 को प्राप्त अपने दिनांक 22.03.2013 के आर.टी.आई. आवेदन का अवलोकन करें। बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार दी गई है:-

बिन्दु संख्या 3 के संबंध में, यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 1955-56 में तत्कालीन पुनर्वास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 84.05 लाख विस्थापित व्यक्ति भारत आए थे। इसमें से, 47.20 लाख पश्चिमी पाकिस्तान से और 36.85 लाख पूर्वी पाकिस्तान से थे। उन मुस्लिमों की संख्या, जो पाकिस्तान गए और भारत वापिस आए, की जानकारी अभिलेख में उपलब्ध नहीं है।

बिन्दु संख्या 4 के संबंध में, विस्थापित व्यक्ति (क्षतिपूर्ति एवं पुनर्वास) अधिनियम, 1954 के प्रावधानों के संदर्भ में तथा उसके तहत् बनाए गए नियमों के अनुसार, तत्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों का उनके द्वारा पश्चिमी पाकिस्तान में छोड़ी गई संपत्ति के बदले भूमि / नकद के रूप में मुआवजा उपलब्ध कराकर देश के विभिन्न राज्यों में पुनर्वास किया गया था।

बिन्दु संख्या 5 और 6 के संबंध में, अभिलेख में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

बिन्दु संख्या 7 के संबंध में मामला बहुत पुराना होने के कारण संबंधित फाइलों का पता नहीं लग पाया है। तथापि, वर्ष 1955-56 में तत्कालीन पुनर्वास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध कुछ समग्र सांख्यिकीय आंकड़े इसके साथ संलग्न हैं।

बिन्दु संख्या 8 के संबंध में, जानकारी मंत्रालय के अभिलेख में उपलब्ध नहीं है।

बिन्दु संख्या 9, 10, 11 और 14 के संबंध में, अपेक्षित जानकारी उपलब्ध कराने हेतु आपके आवेदन की एक प्रति इस मंत्रालय के आई.एस. प्रभाग को भेजी जा रही है।

बिन्दु संख्या 12 और 13 के संबंध मे अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस मंत्रालय के जे एवं के प्रभाग से संपर्क कर सकते हैं।

बिन्दु संख्या 15 और 16 के संबंध में, इस मंत्रालय में कोई जानकारी नहीं रखी गई है, इस संबंध में आप संबंधित राज्य सरकार से संपर्क कर सकते हैं।

बिन्दु संख्या 17 के संबंध में, अपेक्षित जानकारी उपलब्ध कराने हेतु आपके आवेदन की एक प्रति इस मंत्रालय के विदेशी प्रभाग को भेजी जा रही है।

यदि आप इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो निम्नलिखित प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं।

"संयुक्त सचिव (एफ0एफ0आर0), गृह मंत्रालय,
दूसरा तल, एन.डी.सी.सी.।। भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली।"

भवदीय,

र. च. नायक
(आर.सी. नायक)
निदेशक और सी.पी.आई.ओ.

आर.टी.आई. आवेदन की एक प्रति के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु निम्नलिखित को प्रति प्रेषित:-

1. निदेशक / सी.पी.आई.ओ. (आई.एस-I) गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को बिन्दु संख्या 9, 10, 11 और 14 के संदर्भ आवेदक को उत्तर देने के लिए।
2. निदेशक/ सी.पी.आई.ओ. जे. एवं के. प्रभाग को बिन्दु संख्या 12 और 13 के संदर्भ में आवेदक को उत्तर देने के लिए।
3. निदेशक/सी.पी.आई.ओ. विदेशी प्रभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी.-II बिल्डिंग, जय सिंह रोड नई दिल्ली को बिन्दु संख्या 17 के संदर्भ में आवेदक को उत्तर देने के लिए।

768/F1/13
20/8/13
Urgent - RTI

273/US(F)I

17/5

US(F)

Vibul
17/5

Recd today

20.5.2013
SHM

जन सूचना अधिकारी
गृह मंत्रालय भारत
सरकार नई दिल्ली

दिनांक 22/3/2013
R.T.I - No - 3/02322
अत्यन्त महत्वपूर्ण

409

2038/RTI/2013
21/4/13

विषय :- R.T.I एक्ट 2005 के तहत

निवेदन

श्रीमान जी विनम्र निवेदन यह है, कि R.T.I एक्ट 2005 के तहत मुझे निम्न लिखित प्रश्नो के उत्तर पूर्ण तथ्यो सहित दे, व जो प्रश्न अन्य विभागो से सम्बन्धित हो उनके उत्तर सम्बन्धित विभागो से R.T.I एक्ट की धारा 6 (3) के तहत दिलाए यदि सम्भव हो सभी सभी उत्तर हिन्दी मे ही दे सभी उत्तरो के साथ प्रश्न भी लि॰

1) ब्रिटिस सरकार द्वारा भारत देश को कब स्वतन्त्रता प्रदान की गई ब्रिटिस सरकार की ओर से कब किस अधिकारी ने हस्ताक्षर किये उन सभी पेपरो की प्रतिलिपीयां दे।

2) हिन्दुस्तान का बटवारा कब किन कागजातो द्वारा किया गया पकिस्तान कब बनाया गया ब्रिटिस सरकार भारत सरकार पकिस्तान की ओर से बटवारे मे कौन-2 सरीक हुये व उन्हे कब-2 किन-2 कागजो पर बटवारे के तहत हस्ताक्षर किये उन सभी पेपरो की प्रतिलिपीयां दे।

3) हिन्दुस्तान बटवारे मे भारत से कितने मुसलमान पकिस्तान गये व पकिस्तान से कितने लोग परिवार भारत आये यदि पूरी-2 गिनती संख्या सम्भव न हो तो लगभग आंकडे दे व कितने मुसलीम लोग परिवार पकिस्तान से जाने के बाद वापिस आ गये जैसा हरियणा के मेव

4) आजादी के बाद देश बटवारे के बाद पकिस्तान से आये सभी शरणार्थीयो को भारत देश मे कहां-2 किस तरह से बसाया गया। इन सभी को जमीने घर किस-2 राज्यो मे कहां-2 कैसे दी गयी जैसे अनुदान मे ऋणो मे किस्तो मे जो भी हो सभी डिटेल दे।

5) देश बटवारे के समय कब-2 कितने आदमीयो परिवारो की हत्याऐ की गई पूरी संख्या हो तो दे या आंकडो अनुसार जानकारीयां दे

6) दिल्ली मे पकिस्तान से आये शरणार्थीयो के लिये कब-2 कितनी कहां-2 जमीने एक्वायर कर कितनी कालोनियां कहां-2 बसाई गई व कहां-2 कितने फ्लेट बना-2 कर इन्हे किस-2 रेट मे दिये गये

7) इनके रोजगार के लिये क्या-2 योजनाये बनाई गई व कब-2 किस-2 फण्ड से इन्हे कितना-2 अनुदान दिया गया व इन्हे दी गई जमीनो फ्लेटो की किस्तो मे कितनी छुट दी गई व नौकरियो मे इनके लिये जो विशेष सुविधा प्रबंधान किये गये उनकी जानकारी दे

8) इनकी सुविधा के लिये किराया कानून जिससे इन्हे निकाला ना जा सके जिस मालिक मकान के यहां ये रह रहे है कब कैसे व कितने दिनो के लिये बनाया गया वर्तमान समय मे लगभग कितने ऐसे किरायेदार है व कितने ऐसे किरायेदारो व मकान मालिको के मुकदमे न्यायलयो मे लम्बित पडे है। पूर्ण ब्योरा पूर्ण तथ्यो सहित

9) पकिस्तान के साथ कब-2 कितने युद्ध (लडाईया) भारत के साथ किस बात को लेकर लडी गई व उनमे दोनो ओर से कितने आदमी मारे गये व उन पर कितना धन दोनो ओर से व भारत की ओर से खर्च हुआ पूरा ब्योरा ना हो तो लगभग आंकडे दे।

10) पंजाब (भारत) मे, उग्रवाद कब से कब तक रहा व उग्रवाद दौर मे कितने सिविल किस-2 राज्यो के लोग व कितने सरकारी फौज सिपाई आदि कुल कितने मारे गये।

11) पंजाब मे उग्रवाद दौर मे पंजाब पर कुल कितना भारत सरकार का धन खर्च हुआ उस दौर मे पंजाब के कितने कर्ज अनुदान माफ किये गये दिये गये।

... कश्मीर में अब तक कितने ... [illegible] सिपाही आदि सहित कुल [illegible]
आदमी मारे गये

13) जम्मू काश्मीर मे भारत सरकार की और से कुल कितना धन किस-2 रूप मे कि.
किया जा चुका है

14) चीन युद्ध के साथ भारत के कुल कितने आदमी फौजी मारे गये इस युद्ध मे कितना
नुकसान लगभग भारत सरकार को हुआ

15) पंजाब, जम्मू काश्मीर, भूटान, व पूर्वोत्तर राज्यो से व बंगलादेश से
भारत मे विशेषत: दिल्ली मे आये इन विस्थापितो के लिये कब-2 कहां
-2 कितना धन अनुदान आदि मे कैसे व्यय किया गया

16) दिल्ली मे उपरोक्त प्र० 15 के विस्तपीतो के लिये कितनी कालोनीया, फ्लैट, कहा-2
बसाई दी गई व कैसे दी गई पूर्ण ब्योरा पूर्ण तथ्यो सहित दे।

17) पाकिस्तान व बंगलादेश श्रीलंका से कब-2 कितने लोग कब-2 वर्तमान समय अब तक भारत आये
उन्हे कौन सा दर्जा अधिकार दिये गये पूर्ण ब्योरा दे ये लोग भारत मे कहा-2 रह रहे है व
उन्हे वापिस भेजने के लिये कब-2 क्या-2 कार्यवाहियां की गई।

(signature) Singh
नाम- मुख्तीयार सिंह सूफी
पता - WZ-168 ख्यामपुर
वैस्ट पटेल नगर
नई दिल्ली 110008
Ph-9654247745

RTI/06/2013-F-I
Government of India
Ministry of Home Affairs

RTI MATTER BY SPEED POST

NDCC-II Building, Jai Singh Road,
New Delhi, dated, 12th June, 2013

14 JUN 2013

To

Sh. Mukhtiyar Singh Sufi,
WZ-168, Khampur
West Patel Nagar,
New Delhi

Subject: **Information sought under the RTI Act, 2005**

Sir,

Please refer to your application dated 22.03.2013 received by the undersigned on 17.05.2013 on transfer from Sh. R.C. Nayak, Director & CPIO, FFR Division, Ministry of Home Affairs vide their OM No. 36/4/2011- R& SO dated 10.05.2013, seeking information under the RTI Act, 2005.

2. With regard to point no 17 of your RTI application, details of number of Bangladesh, Pakistan and Sri Lanka nationals who arrived in India and deported from India during 2011, are given below :

Country	Arrival	Deportation during the year
Bangladesh	463543	6761
Pakistan	48640	69
Sri Lanka	305853	40

3. The Police authorities in the States/Union Territories and other law enforcement agencies are aware of the issues of illegal immigration and they maintain a strict vigil on the activities of such foreign nationals. Central Government is vested with powers to deport a foreign national under section 3(2)(c) of the Foreigners Act, 1946. These powers to identify and deport illegally staying foreign nationals have also been delegated to the State Governments/Union Territory Administrations. Detection and deportation of such illegal immigrants is a continuous process. Government has also issued instructions to the State Governments / Union Territory Administrations on 5th November, 2012 bringing to their notice the following legal provisions :-

(i) Police authorities can exercise the power to arrest a foreign national living illegally in India in terms of section 4 of the Passport (Entry into India) Act, 1920.

(ii) Any foreign national who remains in any area in India for a period exceeding the period for which the visa was issued to him can be proceeded against under section 14 of the Foreigners Act, 1946.

(iii) A foreigner who enters into or stays in any area in India without the valid documents required for such entry or for such stay, as the case may be, can be proceeded against under section 14A(b) of the Foreigners Act, 1946.

Contd..p/2

3. State Governments/Union Territory Administrations have been requested to take strict action in accordance with the above mentioned provisions against the foreign nationals found to be staying illegally.

4. Details of foreign nationals from Bangladesh, Pakistan and Sri Lanka who are residing in India are not centrally maintained in the Foreigners Division of Ministry of Home Affairs. You may contact the Home Departments of the State Governments/UT Administrations in this regard.

5. If you are not satisfied with the information furnished, you may file an appeal to Shri V. Vumlunmang, Joint Secretary (Foreigners) & Appellate Authority, Ministry of Home Affairs, Foreigners Division, NDCC-II Building, Jai Singh Road, New Delhi within the prescribed time limit.

Yours faithfully,

Vikas Srivastava

(Vikas Srivastava)
Under Secretary (Foreigners) & CPIO

आर0टी0आई मामला/स्पीड पोस्ट द्वारा

आर0टी0आई/60/2013/एफ0-I
गृह मंत्रालय
विदेशी प्रभाग

एन0डी0सी0सी0-II भवन, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली, दिनांक, 12 जून, 2013

20 JUN 2013

सेवा में,

श्री मुख्तियार सिंह सूफी,
डब्ल्यू जेड-168, खामपुर
वेस्ट पटेल नगर,
नई दिल्ली

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना।

महोदय,

कृपया अपने दिनांक 22.03.2013 के आवेदन का संदर्भ लें, जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना मांगी गई है, जो अधोहस्ताक्षरी को श्री आर0सी0 नायक, निदेशक एवं सी0पी0आई0ओ0, एफ0एफ0आर0 प्रभाग, गृह मंत्रालय से उनके दिनांक 10.05.2013 के का0ज्ञा0 सं0 36/4/2011-आर0 एवम् एस0ओ0 से हस्तांतरण पर 17.05.2013 को प्राप्त हुआ।

2. आपके आर0टी0आई0 आवेदन के बिन्दु सं0 17 के संबंध में बंगलादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका के राष्ट्रिक, जो 2011 के दौरान भारत आए और जिन्हें भारत से निर्वासित किया गया, का विवरण इस प्रकार है:

देश	आगमन	वर्ष के दौरान निर्वासन
बंगलादेश	463543	6761
पाकिस्तान	48640	69
श्रीलंका	305853	40

3. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस प्राधिकारी और अन्य विधि प्रवर्तन संबंधी एजेंसियां अवैध आप्रवासन संबंधी मामलों से अवगत हैं तथा वे ऐसे विदेशी राष्ट्रिकों के क्रिया-कलापों पर कड़ी नजर रखती हैं। विदेशी अधिनियिम, 1946 की धारा 3(2)(ग) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के पास किसी विदेशी

कृ0प0प0

O/C

राष्ट्रिक के निर्वासन की शक्तियां निहित हैं। अवैध रुप से रह रहे राष्ट्रिकों की पहचान करने और उनके निर्वासन की ये शक्तियां राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को भी प्रत्यायोजित की गई हैं। ऐसे अवैध अप्रवासियों का पता लगाना और उनका निर्वासन एक सतत् चलने वाली प्रक्रिया है। सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के ध्यान में निम्नलिखित विधिक प्रावधान लाने के लिए 05 नवम्बर, 2012 को अनुदेश भी जारी किए हैं।

(i) पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 की धारा 4 के अनुसार पुलिस प्राधिकारी भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी राष्ट्रिक को गिरफ्तार करने की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं।

(ii) यदि कोई भी विदेशी राष्ट्रिक भारत के किसी क्षेत्र में उसकी जारी किए गए वीज़ा की अवधि से अधिक अवधि तक रहता है तो उसके खिलाफ विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है।

(iii) यदि कोई भी विदेशी राष्ट्रिक भारत में प्रवेश अथवा रहने के लिए अपेक्षित वैध दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश करता है अथवा रहता है, जैसा भी मामला हो, तो विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14क(ख) के अन्तर्गत कार्रवाही की जा सकती है।

3. राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को अवैध रूप से रहते पाए जाने वाले विदेशी राष्ट्रिकों के विरूद्ध उपरोल्लिखित प्रावधानों के अनुसार कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

4. भारत में रह रहे बंगलादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका के विदेशी राष्ट्रिकों का ब्योरा केन्द्रीय रुप से गृह मंत्रालय के विदेशी प्रभाग में नहीं रखा जाता। इस बारे में आप राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों के गृह विभागों से संपर्क कर सकते हैं।

5. यदि आप ऊपर प्रस्तुत की गई जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप निर्धारित समायावधि के भीतर श्री वी0 वुमलुंगमांग, संयुक्त सचिव (विदेशी) एवम् अपीलीय प्राधिकारी, गृह मंत्रालय, विदेशी प्रभाग, एन0डी0सी0सी0-II बिल्डिंग, जय सिंह रोड, नई दिल्ली के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं।

भवदीय,

विकास श्रीवास्तव

(विकास श्रीवास्तव)

अवर सचिव (विदेशी) एवं सी0पी0आई0ओ0